[रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी]
(छत्तीसगढ राज्य को लागू रूप में)
1. रजिस्ट्रीकरण फीस (साधारण)
क-यथा मूल्य दरों से प्रभारणीय दस्तावेज
पहला अनुच्छेद

पट्टों के अतिरिक्त समस्त दस्तावेंजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु:-

	रु. पै.
(क) जब बाजार मूल्य 100 रूपये से अधिक न हो।	2.00
(ख) जब बाजार मूल्य 100 रूपये से अधिक किन्तु 200 रूपये से अधिक न हो।	3.00
(ग) जब बाजार मूल्य 200 रूपये से अधिक किन्तु 300 रूपये से अधिक न हो।	4.50
(घ) जब बाजार मूल्य 300 रूपये से अधिक किन्तु 400 रूपये से अधिक न हो।	6.00
(ड.) जब बाजार मूल्य 400 रूपये से अधिक किन्तु 500 रूपये से अधिक न हो।	7.50
(च) जब बाजार मूल्य 500 रूपये से अधिक किन्तु 600 रूपये से अधिक न हो.	9.00
(छ) जब बाजार मूल्य 600 रूपये से अधिक किन्तु 700 रूपये से अधिक न हो	10.50
(ज) जब बाजार मूल्य 700 रूपये से अधिक किन्तु 800 रूपये से अधिक न हो	12.00
(झ) जब बाजार मूल्य 800 रूपये से अधिक किन्तु 900 रूपये से अधिक न हो.	13.50
(ञ) जब बाजार मूल्य 900 रूपये से अधिक किन्तु 1000 रूपये से अधिक न हो.	15.00
(ट) जब बाजार मूल्य 1000 रूपये से अधिक किन्तु 10,000 रुपये से अधिक न हो तो 1,000 रुपये से अधिक (क) प्रत्येक 500 रुपये या 500 रुपये के किसी भाग के लिये	5.00
(ठ) जब बाजार मूल्य 10,000 रूपये से अधिक किन्तु 50,000 रूपये से अधिक न हो तो तो 10,000 से अधिक प्रत्येक 500 रूपये या 500 रूपये के किसी भाग के लिये.	5.50
(ड) जब बाजार मूल्य 50,000 रूपये से अधिक हो तो 50,000 रूपये से अधिक के प्रत्येक 500 रूपये या 500 रुपये के किसी भाग के लिये.	4.00
(ढ) जब संव्यवहार धन के रूप में मूल्यांकित किए जाने योग्य न हो:	150.00

टिप्पणी :- (1) आनुषगिक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप मे के लिए अभिप्रेत दस्तावेज पर उद्ग्रहणीय रजिस्ट्रीकरण फीस. उस दशा मे जब कि मूल या प्राथमिक बधक का सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सतोष के अनुरूप प्रमाणित हो जाये. 5 रूपये होगा।

(2) विभाजन की लिखतम की दशा में पृथक हिस्सा या हिस्सों का वह बाजार मूल्य जिसके आधार पर मुद्रांक शुल्क चुकाया गया हो, रजिस्ट्रीकरण फीस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य के रूप में माना जायेगा।

(3) किसी दस्तावेज में यथा वर्णित बाजार मूल्य, रजिस्ट्रीकरण फीस का अवधारण करने हेतु आधार होगा। उन मामलों में, जिनमें बाजार मूल्य वर्णित न हो, संबंधित पक्षकार को बाजार मूल्य वर्णित करने का अवसर दिया जावेगा तथा उसके द्वारा अवसर का लाभ न उठाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी :–

(एक) इस अनुच्छेद की मद (ढ) के अधीन; या

(दो) दस्तावेज मे व्यक्त किए गए प्रतिफल के आधार पर इन दोनों में से जो भी अधिक हो उसके अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा।

(4) जब किसी निश्चित धनराशि के लिए विक्रय, बंधक आदि का करार निष्पादित किया जाये और रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किया जाये तो ऐसी धनराशि पर यथा मूल्य रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित किया जाना चाहिए। बाद में रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किये गये वास्तविक हस्तातरण, बधक आदि पर 5 रूपये की नियत फीस का उद्ग्रहण किया जाना चाहिये, यदि पूर्व के करारों का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संतोष के अनुरूप प्रमाणित कर दिया गया हो।

(5) स्वामिगत फर्म अथवा साझेदारी द्वारा उसको बैंक से दिये गये ऋण की प्रतिभूति के रूप में निष्पादित गिरवी बंध पत्र पर केवल 15 रूपये की नियत फीस का उद्ग्रहण किया जायेगा।

(6) ऊर्जा उत्पादन तथा खनिज तैल परिष्करण के क्षेत्र में किसी "नवीन उद्योग" द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये पूजी जुटाने हेतु निष्पादित बधक विलेख के बारे में प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की अधिकतम सीमा एक लाख रूपए होगी।

स्पष्टीकरण- इस प्रयोजन के लिये "नवीन उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 19-8-99 के पूर्व उत्पादन नहीं किया हो और उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा इस निमित नियुक्त किये गये किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए।

(7) जब कोई पावर आफ अटार्नी, सामान्य या विशेष, जिसके द्वारा अभिकर्ता को अचल संपत्ति के अंतरण का अधिकार दिया गया हो तथा यथा मूल्यवान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो, निष्पादित की जाये तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जाये, तो ऐसी पावर आट अटार्नी, पर फीस सारणी के इस अनुच्छेद के अधीन प्रभारित की जानी चाहिये। यदि कोई हस्तातरण–पत्र ऐसी पावर आफ अटार्नी के अनुसरण में पावर आफ अटार्नी के निष्पादक और ऐसे व्यक्ति के बीच जिसके पक्ष में उसे निष्पादित किया गया है, निष्पादित किया जाता है, वहां हस्तातरण–पत्र पर फीस ऐसी फीस होगी जो सपत्ति के बाजार मूल्य पर सगणित की गई फीस में से पावर आफ अटार्नी पर भुगतान की गई फीस को कम करके आती है।

दूसरा अनुच्छेद

पट्टो के रजिस्ट्रीकरण के लिये–	रू. पैसे
पट्टे पर देय मुद्रांक फीस के मूल्य के तीन चौथाई, इस शर्त के साथ कि न्यूनतम 50 रूपये होगा	
यदि पट्टे पर मुद्रांक शुल्क की छूट हो तो फीस	50.00

टिप्पणी :- इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "पट्टा" में पट्टा या कबूलियत जो पट्टे का प्रतिरूप न हो सम्मिलित है।

ख-नियत फीस से प्रभारणीय दस्तावेज

तीसरा अनुच्छेद

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिये	रू. पैसे
(क) वसीयत	200.00
(ख) दत्तक लेने के लिये प्राधिकार या दत्तक ग्रहण विलेख	100.00
(ग) अटार्नी का सामान्य अधिकार, (यथा मूल्यवान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य को छोडकर) विवाह विच्छेद विलेख या डिग्री तथा न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि	100.00

चौथा अनुच्छेद

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिये–

(क) ऐसे दूसरे विलेख के जो पहले ही रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो, कारण प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति अभिस्वीकृति का पृथक विलेख	वही फीस जो मूल विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हो,
(ख) पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को संशोधित, परिवर्तित अथवा शोधित किन्तु निरसित न करने वाली दस्तावेज	यदि ऐसी फीस 100 रुपए से अधिक न हो, अन्यथा 100 रुपये

पाचवा अनुच्छेद

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिये	रू. पैसे
(क) अटार्नी का विशेष अधिकार (यथा–मूल्य मान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य को छोड़कर)	50.00
(ख) सेवा या किराये का करार	50.00
(ग) सलेखों के प्रतिरूप या दूसरी प्रतियां	100.00
(घ) बिना किसी प्रतिफल के सम्मति विलेख	100.00
(ड.) पट्टे की तरह का करार बिना किसी प्रीमियम या भाडे के	100.00
(च) कोई भी अन्य दस्तावेज जो इस सारणी के किसी अन्य अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता हो	50.00
(छ) भू–सुधार या कृषक ऋण अधिनियम के अधीन ऋण के लिये प्रतिभूति या बधक विलेख	10.00

टिप्पणियां :- (1) बिना प्रतिफल के सम्मतिया चाहे मूल विलेख मे अभिलिखित हो या पृथक दस्तावेजों के विषय मे हो, पृथक लिखित रूप मे होती है और उन पर खण्ड (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जायेगी।

(2) प्रतिफल के लिये दी गई सम्मतियां, चाहे मूल विलेखो पर या पृथक रूप से लिखे गये विलेखों पर पृष्ठांकित हो फीस सारणी के पहले अनुच्छेद में निहित यथामूल्य मान के अधीन निर्धारित की जायेगी परन्तु जब ऐसी सम्मति (पहले) अनुच्छेद एक के अधीन प्रभारणीय मूल दस्तावेज पर पृष्ठांकित हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दोनों संव्यवहारो के लिए प्रतिफल की रकमों की कुल राशि पर उस अनुच्छेद के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस का उदग्रहण करेगा।

छठा अनुच्छेद

पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को निरसित करने वाले दस्तावेज के पट्टे के समर्पण के या पट्टे के हस्तांतरण के दस्तावेज के जो किसी भी प्रतिफल के बिना हो. रजिस्ट्रीकरण के लिए	वही फीस जोकि मूल दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये अपेक्षित हो. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये कि अधिकतम केवल 100 रूपये होगा।

दो-रजिस्ट्रीकरण फीस (असाधारण)

सातवां अनुच्छेद

	रू. पै.
रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क.	200.00 साधारण शुल्क के अतिरिक्त

टिप्पणी :- इस अनुच्छेद के अधीन अतिरिक्ति फीस वसीयतों तथा दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर देय नहीं होगी, वह ऐसे मामलों में भी उदग्रहणीय नहीं होगी जिनमें सब–रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध होने के कारण या अन्य दूसर पर्याप्त कारण से स्वयं रजिस्ट्रीकरण करने के लिए असमर्थ हों।

तीन-रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक शुल्क

आठवां अनुच्छेद

समस्त मामलों में देय–	रू. पैसे
(क) दस्तावेजो पर पृष्ठांकन की प्रतिलिपि करने के लिये नियत फीस	10.00
(ख) संबंधित पुस्तक में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की प्रतिलिपि करने के लिये.	2.50 प्रत्येक पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग के लिये जिसमें 100 शब्द हों

टिप्पणी :- यदि दस्तावेज ऐसी स्थावर संपत्ति से संबंधित हो, जो एक से अधिक जिलों में स्थित हो और उसकी प्रतिलिपि धारा 65 या 66 के अधीन दूसरे जिले या अन्य जिलों को भेजना हो, तो प्रतिलिपिकरण फीस दुगनी (या यथास्थिति तीन गुनी, आदि) देय होगी एक बार रजिस्टर में मूल प्रतिलिपि करने के लिये और फिर भेजने के लिये प्रतिलिपि या प्रतिलिपिया करने के लिये (देखिये अनुच्छेद सत्रह) किन्तु उस अनुच्छेद की टिप्पणी (4) में उपबंधित दशा में फीस देय नहीं होगी.

नवां अनुच्छेद

	रू. पैसे
रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किये गये छपे हुये दस्तावेजों की छपी हुई प्रतिलिपियोंकी तुलना करने के लिये प्रत्येक पृष्ठ या पृष्ठ के भाग के लिये जिसमें 100 शब्द हों	0.50
प्रत्येक प्रतिलिपि को दाखिल करने के लिये	10.00

दसवां अनुच्छेद

विशेष मामलों में देय–	रू. पैसे
(अतिरिक्त में) धारा 64,65 और 66 के अधीन भेजे जाने वाले ज्ञापन की प्रत्येक प्रतिलिपि के लिये. समान शुल्क	10.00

टिप्पणी – (1) धारा 64. 65 के अधीन ज्ञापन जारी करने के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी. जबकि स्थावर सम्पत्ति से सबधित न्यायालय की डिग्री या आदेश की प्रतिलिपि धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उन सब रजिस्ट्रार या जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय मे प्रस्तुत की जाये जिसके उप जिले या जिले मे सपत्ति का कोई भी भाग स्थित हो।

(2) धारा 65(1) के अधीन उन मामलो के ज्ञापन के जारी करने के लिये कोई फीस. प्रभारित नहीं की जायेगी. जिनमे सब रजिस्ट्रार. निष्पादन मे हितबद्ध होने या उस भाषा से. जिसमें वह विलेख लिखा हुआ हो. अवगत न होने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणो से स्वयं रजिस्ट्रीकरण करने के लिये असमर्थ हो।

ग्यारहवां अनुच्छेद

अनुवाद या लिप्यन्तर दाखिल करने के लिये (धारा 62)	10.00

बारहवाँ अनुच्छेद

रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को डाक से लौटाने के लिये–

(क)	एकल दस्तावेज के लिये	10.00
(ख)	उसी रजिस्टर्ड लिफाफे में लौटाये जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज के लिये.	10.00

तेरहवां अनुच्छेद

(क)	ऐसे दस्तावेज की अभिरक्षा के लिये जो उस दिनांक से जिसको उस पर (रजिस्ट्रीकृत) या रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया गया पृष्ठांकित किया गया हो, एक माह तक बेदावेदार रही हो।	10.00 पहले माह के पश्चात ऐसे प्रत्येक माह के भाग के लिये जिसके दौरान मे दस्तावेज या प्रतिलिपि बेदावेदार रही हो।
(ख)	ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि की अभिरक्षा के लिये जो रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत की गई हो या जिसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका हो, जब कि ऐसी प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर तैयार की गई हो और एक माह तक बेदावेदार रही हो, उस दिनांक से, जब से कि वह प्रतिलिपि आवेदक को दिये जाने के लिये तैयार थी	5.00 पहले माह के पश्चात ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिये, जिसके दौरान प्रतिलिपि बेदावेदार रही हो

टिप्पणी .– दस्तावेज के लिये 100.00 रूपये और प्रतिलिपि के लिये 50.00 रूपये अधिकतम फीस देय होगी।

घार-परिदर्शनों और आयोगों के लिये फीस

चौदहवां अनुच्छेद

धारा 31 33 या 38 के अधीन व्यक्तिगत निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिये या धारा 33 या 38 के अधीन आयोग जारी करने के लिये

		रु. पैसे
(क)	यदि वह व्यक्ति जेल में हो	50.00
(ख)	यदि वह व्यक्ति कार्यालय मे उपस्थित होने में शरीर से असमर्थ हो	75.00
(ग)	अन्यथा	150.00

टिप्पणी:- [(1) इस अनुच्छेद में वर्णित फीस साधारण फीस तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के 3=00 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ जाने वाले भृत्य के लिए 1.50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता मे अतिरिक्त प्रभारित की जाएगी।]

(2) जब कोई उपस्थिति धारा 31 और 38 दोनों के अधीन उसी समय और स्थान पर होती हो. और यदि केवल एक दस्तावेज के ही रजिस्ट्रीकरण का संबध हो. तो केवल एक उपस्थिति की फीस और एक रजिस्ट्रीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जायेगा। यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी. जब एक दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण का संबंध हो. एक अवसर पर प्रस्तुतकर्ता और दूसरे अवसर पर निष्पादनकर्ता या अन्य आवश्यक साक्षी के यहां उपस्थित होता हो. तो दो उपस्थिति फीस का उद्ग्रहण किया जायेगा। यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व्यक्तिगत निवास स्थान या जेल पर उपस्थित होता हो और एक व्यक्ति कई दस्तावेज प्रस्तुत करता हो या एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति एक ही और उसी समय तथा स्थान पर उन सब के द्वारा सयुक्त रूप से निष्पादित कई दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार करता हो अथवा करते हों. तो केवल एक ही उपस्थिति फीस का उद्ग्रहण कियाजायेगा. किन्तु रजिस्ट्रीकरण फीस प्रत्येक दस्तावेज के संबंध में उद्ग्रहीत होगी। यदि विभिन्न व्यक्ति एक ही और उसी समय तथा स्थान पर ऐसे कई विभिन्न दस्तावेजों को, जो उनके द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित नहीं किये गये हों. रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत करते हों. या उनका निष्पादन स्वीकार करते हों. तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक भिन्न संव्यवहार के लिये एक उपस्थिति फीस उद्ग्रहीत करेगा. रजिस्ट्रीकरण फीस ऐसे समस्त दस्तावेजों पर देय होगी।

(3) यदि एक अथवा अधिक स्त्री निष्पादकों के जो परदानशीन हों. या उच्च कुल की हों. अंगूठा निशानी लेने के लिये किसी दायी अथवा सहायिका का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ व्यक्तिगत निवास स्थान पर जाना आवश्यक हो. तो ऐसे व्यक्तिगत निवास स्थान पर की उसकी प्रत्येक उपस्थिति के लिये रजिस्ट्रीकृत किये गये लिखतमों की संख्या का ध्यान दिये बिना पचास रूपये अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायेगी।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन उद्ग्रहणीय फीस भूमि अर्जन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में निष्पादित किए गए लिखत के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राईवेट निवास स्थान पर उपस्थित होने के लिए प्रभार्य नहीं होगी;

परन्तु जब किसी भूमि स्वामी की अनुपस्थिति के कारण उसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण के सबध मे उप रजिस्ट्रार से दूसरी बार उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए. तो इस अनुच्छेद के अधीन उद्ग्रहणीय पूरी फीस उक्त स्वामी से प्रभारित की जाएगी।

(5) इस अनुच्छेद के अधीन वसूल की गई सभी फीस कोषालय/उपकोषालय में जमा की जाएगी। इसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण आफिसर टिप्पणी (1) में विनिर्दिष्ट यात्रा भत्ते की राशि का हकदार होगा। यह राशि आहरित की जाएगी और उसको भुगतान कर दी जाएगी। इसी तरह भृत्य को टिप्पणी (2) के अधीन वसूल की गई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा और दाई को टिप्पणी (4) के अधीन वसूल की गई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

पांच-विलम्बित प्रस्तुत तथा विलम्बित उपस्थिति के लिए फीस

पन्द्रहवां अनुच्छेद

विलंबित प्रस्तुति (धारा 25) और विलंबित उपस्थिति (धारा 34) के लिये जुर्माना नीचे दिये गये मान से विनियमित होगा:–

मान

(क) जब विलंब एक मास से अधिक न हो वास्तविक रजिस्ट्रीकरण फीस की धनराशि का दुगुना जुर्माना,

(ख) जब विलंब एक मास से अधिक हो, किन्तु दो मास से अधिक न हो, वास्तविक रजिस्ट्रीकरण फीस की धनराशि का चौगुना जुर्माना,

(ग) जब विलंब दो मास से अधिक किन्तु तीन से अधिक न हो, वास्तविक रजिस्ट्रीकरण फीस की धनराशि का छः गुना जुर्माना

(घ) जब विलंब तीन मास से अधिक किन्तु चार से अधिक न हो, वास्तविक रजिस्ट्रीकरण फीस की धनराशि का दस गुना जुर्माना।

टिप्पणी :- उस समय की गणना करने मे कि कालावधि कब प्रारभ हुई, यह ध्यान मे रखना चाहिए कि धारा 23 में प्रयुक्त शब्द ''दिनाक से'' और ''दिन से'' दस्तावेज के निष्पादन के दिनाक को और उस दिन को, जिसको कि न्यायालय की डिग्री या आज्ञा यथा स्थिति दी गई अथवा अंतिम हुई हो, छोड देते हैं (जनरल क्लाजेज एक्ट, 1897 की धारा 3 का खंड 2)।

नोट-टिप्पणी में जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा 3 का खंड 2 उल्लिखित है जो सही नही है। इसके स्थान पर धारा 9 का खड (1) पढ़ा जाना चाहिए।

छः- तलाशियों के लिये तथा प्रतिलिपियों के लिये फीस

सोलहवां अनुच्छेद

[(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गई तलाशी के लिये

	रु. पै.
प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिये	5.00 प्रतिवर्ष

[परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति जो किसी सम्पत्ति का भार मुक्तता प्रमाण–पत्र पाने की वाछा करता है, वह खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन विहित तलाशी फीस के अतिरिक्त प्रत्येक प्रमाण–पत्र के लिये 10 रूपए की नियत फीस चुकाने का दायी होगा।]

(ख) आवेदक को निरीक्षण करने की अनुज्ञा देने के लिये:–

	रु. पै.
प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिये	10.00 प्रतिवर्ष

(ग) खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत बैकों से कृषि प्रयोजनों हेतु ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये निरीक्षण की अनुज्ञा देने के लिए फीस निम्नानुसार होगी:–

(एक)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमि स्वामी के मामले में	कुछ नही
(दो)	उन भूमि स्वामी के जो ऊपर मद (एक) के अन्तर्गत न आते हों तथा दस हैक्टेयर से अनधिक भूमि धारण करते हो, मामले में	25.00

सत्रहवां अनुच्छेद

(क) किसी व्यक्ति के लाभ के लिये कारणों, प्रविष्टियों तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करने या देने के लिये या धारा 65,66 तथा 67 के अधीन किसी दूसरे कार्यालय को भेजी जाने के लिये।	वही फीस जो ऊपर दिये गये अनुच्छेद आठ (ख)के अधीन प्रभारणीय हो और अनुच्छेद आठ (क) के अधीन अतिरिक्त नियत फीस :परन्तु यह और कि जब प्रति लिपियां फोटो कापी मशीन से तैयार की जायें, तब प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रूपये अतिरिक्त फीस प्रभार्य होगी।
(ख) ऐसी प्रतियो को शीघ्रता से तैयार करने या देने के लिये	खण्ड (क) के अधीन प्रभारणीय फीस का दुगना।

टिप्पणी:- (1) यदि किसी भी प्रविष्टि की प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र में निम्नलिखित ब्यौरों में से कोई भी एक दिया गया हो तो कोई तलाशी फीस उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी:–

(क) दावेदार या निष्पादक के नाम, दस्तावेज का प्रकार तथा रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और निष्पादक द्वारा आवेदन होने की दशा में स्वीकृति का दिनांक या

(ख) पुस्तक, जिल्द तथा पृष्ठ या वर्ष सहित दस्तावेज का अनक्रमांक।

(2) शासकीय कर्मचारी जिनके लिये सद्भावपूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये रजिस्टरों का निरीक्षण करना या तलाशी लेना आवश्यक हुआ हो; फीस के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

(3) सब रजिस्ट्रारों द्वारा लिखतमों के अधीन दावा करने वाले या उनका निष्पादन करने वाले व्यक्तियों को दी गई अस्वीकृति के कारणों की प्रतिलिपिया फीस से मुक्त रहेंगी। (देखिए धारा 71)।

(4) धारा 65 या 66 के अधीन प्रतिलिपि देने के लिये कोई फीस सत्रहवें अनुच्छेद के अधीन उस दशा में भारित नहीं की जायेगी, जबकि स्थावर संपत्ति से संबंधित न्यायालय की डिग्री या आदेश की प्रतिलिपि धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उस सब रजिस्ट्रार या जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत की जाये, जिसके कि उप जिले या जिले में प्रभावित सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित न हो।

(5) शासकीय कर्मचारी, जिन्हें सद्भावनापूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रविष्टियो या लिखतमो की प्रतिलिपियो की आवश्यकता हो, शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

अठारहवां अनुच्छेद

	रु. पै.
नक्शे की प्रतिलिपि देने के लिये (यदि आवेदक ऐसी प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अपना निजी प्रबन्ध करे और उसका खर्चा वहन करे)	10.00

टिप्पणी :- शासकीय कर्मचारी, जिन्हें सद्भावपूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये नक्शो की प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो, फीस के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

सात-विविध कार्यवाहियों के लिए फीस

उन्नीसवां अनुच्छेद

(क) वसीयत के मुहरबद लिफाफे को जमा करने के लिये	100.00
(ख) ऐसे लिफाफे को खोलने या निकालने के लिये	50.00

टिप्पणी :– मोहर बद लिफाफे के खोलने के लिए आठवे अनुच्छेद में दिये गये मान के अनुसार विषय वस्तु की प्रतिलिपि करने का व्यय अतिरिक्त रूप से प्रभार्य होगा।

बीसवां अनुच्छेद

अटार्नी के अधिकार पत्र के अभिप्रमाणीकरण के लिये

(क) यदि विशेष हो	10.00
(ख) यदि सामान्य हो	20.00

आठ-आवेदन-पत्र तथा आदेशिकाएं जारी किये जाने के लिये फीस

इक्कीसवां अनुच्छेद

(1) न्याय फीस अधिनियम के अधीन राजस्व पदाधिकारियों को दिये जाने वाले आवेदन पत्रों के लिये देय फीस उन समस्त आवेदन पत्रों पर उदग्रहणीय होगी जिनका कि विधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लिखित में दिया जाना अपेक्षित हो।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी की गई आदेशिकाओं पर वही फीस उदग्रहणीय होगी जो न्याय फीस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा व्यवहार न्यायालयो द्वारा आदेशिकाएं जारी करने के लिए देय होती है।

टिप्पणी :- 1(क) इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 57 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किसी भी पुस्तक क्रमांक 1, 2, 3, और 4 या उनसे संबंधित निर्देशक सूची क्रमाक एक अथवा दो की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि के लिये दिये गये प्रत्येक आवदेन–पत्र पर न्याय फीस अधिनियम, 1870 की द्वितीय अनुसूची के पहले अनुच्छेद के खण्ड (ए) के अधीन 2 रूपये, की न्याय फीस प्रभारित की जायेगी।

(ख) इडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 57 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पुस्तक क्रमांक 1 या 2 की या उनसे संबंधित निर्देशक सूची क्रमाक एक या दो की कितनी भी प्रविष्टियों के निरीक्षण के लिये या उक्त पुस्तकों तथा निर्देशक सूचियों की या पुस्तक क्रमाक 3 या 4 की अथवा इन पुस्तकों से सबंधित निर्देशक सूचियों की कितनी भी प्रविष्टियों की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाश के लिये दिये गये प्रत्येक आवेदन पर न्याय फीस अधिनियम, 1870 की द्वितीय अनुसूची के पहले अनुच्छेद के खण्ड (बी) के अधीन पांच रूपये की न्याय फीस प्रभारित की जायेगी।

(2) सद्‌भावपूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित प्रविष्टियों अथवा दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिये या रजिस्टरों के निरीक्षण या तलाश के लिये शासकीय सेवक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर कोई न्याय फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

बाईसवां अनुच्छेद

निम्नलिखित पर 50 रूपये की निश्चित फीस उदग्रहीत होगी –

1.(क) किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने वाले किसी सब रजिस्ट्रार के आदेशों के विरूद्ध धारा 72 के अधीन प्रत्येक अपील के या धारा 73 के अधीन प्रत्येक आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण।

(ख) धारा 74 के अधीन जाच।

(ग) ऐसे दस्तावेजों के संबंध मे जिनका कि निष्पादन करने से इंकार किया गया हो, धारा 35 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित किये गये सब रजिस्ट्रार द्वारा जाच।

2 निम्नलिखित के सबध में 10 रुपए की निश्चित फीस उदग्रहीत होगी:–

(क) धारा 25 (2) तथा धारा 34(4) के अधीन सब रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया प्रत्येक आवेदन पत्र.

(ख) निष्पादकों तथा पक्षियों को उपसंजात कराने के लिये धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया प्रत्येक आवेदन पत्र.

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिये पेश किये गये किसी दस्तावेज के साथ या उसके संबंध मे किसी अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये मुख्तारनामे का अनुवाद फाइल करना जब कि मुख्तारनामा ऐसी भाषा में लिखा गया हो जो जिले में सामान्यत: उपयोग मे न लाई जाती हो

(घ) रजिस्ट्रीकरण के लिये पेश किये गये दस्तावेज के साथ या उसके संबंध में प्ररतुत किये गये विशेष मुख्तारनामे को फाइल करना.

(ड.) रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार की गई तथा सुरक्षित अभिरक्षा के हेतु रजिस्ट्रार के कार्यालय को भेजी गई विल (इच्छा पत्र) की वापसी हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र.

(च) जिसके पक्ष मे रसीद दी गई है. ऐसे व्यक्ति को दस्तावेज वापस किये जाने के सबंध आपत्ति करने वाली प्रत्येक याचिका जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पेश की गई हो

(छ) धारा 25 (1) तथा धारा 34 (1) के अधीन उदग्रहीत जुर्माने के परिहार का या वापसी का दावा करने वाला प्रत्येक आवेदन पत्र;

3. निम्नलिखित पर 10 रूपये की निश्चित फीस उदग्रहीत होगी:–

(क) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध अभ्यायुक्ति करने वाली प्रत्येक याचिका जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पेश की गई हो।

टिप्पणी :- उन याचिकाओं पर कोई फीस उदग्रहीत नहीं होगी जिनमें सैनिकों द्वारा अभिकथित अवैध विक्रय कर प्रतिवाद जिला नौसैनिक, सैनिक और वायु सैनिक बोर्ड के सचिवों ने किया हो।

परन्तु खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में यदि एक याचिका में एक दस्तावेज से अधिक दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध अभ्यापत्ति की गई हो तो याचिका में विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे दस्तावेजों में से प्रत्येक के लिये देय फीस की सगणना 10 रूपये की दर पर की जायेगी और यदि ऐसे दस्तावेजों की संख्या याचिका मे विनिर्दिष्ट न की गई हो [illegible] भी याचिका के लिये 50 रूपये की फीस उदग्रहीत होगी।

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पेश की गई प्रत्येक ऐसी याचिका के लिये–

(ए) रजिस्ट्रीकरण करने से कोई दस्तावेज वापस लेने के हेतु,

(दो) किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्णतः या भागतः इंकार करने के हेतु हो,

(तीन) दस्तावेज निष्पादित करने वाले पक्षकारों के उपसंजात होने तक दस्तावेज को लंबित रखने के हेतु हो

4. (क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके कार्यालय मे रजिस्ट्रीकरण के हेतु, विशेष अर्जेंसी के आधार पर दस्तावेज प्रतिग्रहीत करने के लिये अवकाश के दिवस पर पेश किये गये प्रत्येक आवेदन पत्र पर 50 रूपये की निश्चित फीस उद्ग्रहीत होगी,

(ख) किसी प्राधिकृत अवकाश के दिन विशेष आपतिक आधार पर किसी ऐसे मुहरबंद लिफाफे का, जिनमें विल विहित होता तात्पर्यित हो, प्रतिग्रहीत करने के लिए धारा 42 के अधीन निक्षिप्त करने के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, पेश किये गये प्रत्येक आवेदन पत्र पर 50 रूपये की निश्चित फीस उद्ग्रहीत होगी।

(ग) अवकाश के दिन विशेष आपात्तिक आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किसी मुख्तारनामे को केवल सत्यापन के हेतु या सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण के हेतु उसके कार्यालय में प्रतिग्रहीत करने के लिये पेश किये गये प्रत्येक आवेदन पत्र पर 50 रूपये की निश्चित फीस उद्ग्रहीत होगी।

(घ) किसी ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये, जिसे प्रथमतः भागतः इन्कार कर दिया गया हो और धारा 75 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये निर्देशित किया गया हो, प्रतिलिपि फीस विहित दर पर उद्ग्रहीत होगी।